न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
161/2022	दावा 177 RTA	05.08.2022	24.07.2025

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

–वादी–

बनाम

1. ईमरान अली पुत्र इमामुदीन, जाति–तेली,नि. चूरू।
2. गनीमोहम्मद पुत्र रमजान, जाति–तेली,नि. चूरू।
3. जमालुदीन पुत्र इमामुदीन, जाति–तेली,नि. चूरू।
4. जरीना बानो पुत्री साबीर, जाति–तेली,नि. चूरू।
5. मुस्लिम मण्डावरीया पुत्र साबीर, जाति–तेली,नि. चूरू।
6. मो. जीमल पुत्र इमामुदीन, जाति–तेली,नि. चूरू।
7. शहनाज पुत्री इमामुदीन, जाति–तेली,नि. चूरू।
8. सईदा पत्नि साबीर, जाति–तेली,नि. चूरू।
9. सत्तार पुत्र यासीन, जाति–तेली,नि. चूरू।
10. समरीन पुत्री इमामुदीन, जाति–तेली,नि. चूरू।
11. सैयद पुत्र इमामुदीन, जाति–तेली,नि. चूरू।
12. हारून मण्डावरीया पुत्र साबीर, जाति–तेली,नि. चूरू।
13. हारूनगौरी पुत्र खैददीनगौरी, जाति–तेली,नि. चूरू।
14. उप पंजीयक चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955

महोदय,

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा निम्नानुसार पेश है–

1. यह कि रोही ग्राम चूरू के खेत खसरा नं. 2398/266 तादादी 2.4029 है किस्म बारानी कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख के अनुसार उपरोक्त अप्रार्थि सं. 01 से 13 के नाम से खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है।
2. यह कि वाद की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्राकर की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है, जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यो या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा [illegible] अनुमति प्राप्त कर ही उपभोग में लिया जा सकता है।
3. यह कि वाद की मद [illegible] संख्या 01 से 13 द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही [illegible] अकृषि कार्य जि[illegible] पर अकृषि प्रयोजन भूमि की प्रकृति बदल दी है जिस[illegible] उन्हे कोई अधिकार [illegible] है।
4. यह कि वाद कि मद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 13 ने बिना अधिकार के शर्तो का उल्लघंन करते हुए उक्त ख.सं. 2398/266 तादादी 2.4029 है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:44 IST
Reason: SelfAttested

AG

की भूमि पर समतलीकरण करके आवासीय प्लोटिंग का कार्य करते हुऐ भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है। कृषि भूमि को हानिप्रद कार्य कर क्षति पहुंचाई है। ऐसीस्थिति में प्रतिवादी के कब्जे मे उक्त भूमि को छोड़ा जाना उचित नही है। क्यों कि खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 से 13 कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने के फलस्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार बेदखली योग्य जो गये है।

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 01. से 13 के द्वारा मद संख्या 03 व 04 में वर्णितानुसार कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनकी खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गई है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 13 उक्त भूमि से बेदखल करने योग्य हो गये है व बेदखली होने के फलस्वरूप खातेदारी अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गये हैं। जिसके लिए माननीय न्यायालय को आर.टी.एक्ट. की धारा 177 सपठित धारा 63(1) (5) में श्रवधाधिकार प्राप्त है।
6. यह कि वादी की ओर से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 को पटवारी हल्का के माध्यम से वादगत भूमि को अकृषि उपयोग में न लेने हुतु बार–बार कहा गया, मगर प्रतिवादीगण नहीं माने एवं आखिर दिनांक 29.07.2022 को प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये। अतः इसी दिनांक को वादी को भूमिधारी होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हेतुक (Cause of Action) प्राप्त हुआ है।
7. यह कि अदालतवाला को यह वाद सुनवाई के अधिकार प्राप्त है तथा दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है चुंकि राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है।
8. अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम चूरू के खेत खसरा नं. 01 से 13 है, किस्म बारानी कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 से 13 से हटायी जाकर राजकीय सिवयचक भूमि घोषित की जावे।
9. प्रतिवादी संख्या 01 से 13 को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्रा अधिकार एवंम श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया तथा जरिए रजिस्टर्ड डाक तलब किया गया परन्तु इनकी ओर से न्यायालय मे कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कि गई तथा तहसीलदार चूरू से वर्तमान मोका स्थिती रिपोर्ट मांगी गई जिसपर पटवारी कस्बा चूरू की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई की रोही कस्बा चूरू के खसरा नं. 2398/266 कि मोका रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है

1. यह कि उक्त खसरा राजस्व रिकॉर्ड कस्बा चूरू की जमाबंदी (बर्तमान) अनुसार ईमरान अली पुत्र इमामुदीन, गन्नीमोहम्मद पुत्र रमजान, जमालुदीन पुत्र इमामुदीन नि.चूरू जाति तेली वगेरह के नाम से खातेदारी दर्ज है।
2. उक्त खसरा में मौके पर आंशिक निर्माणात बने हुए है।
3. मौके पर सडक व प्लॉटिंग की गई है।

अप्रार्थी रामूराम द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) व सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया कि उपरोक्त [illegible] करण में प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 2186/265 वाके रोही कस्बा [illegible] है उक्त कृषि भूमि की पश्चिमी सींव की तरफ कृषि भूमि खेत [illegible] रोही कस्बा चूरू ईमरान अली पुत्र ईमामुदीन आदि जाति तेली राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चली आ रही है। प्रार्थी के खेत के पश्चिमी सीमा की ओर स्थित कृषि भूमि को अ[illegible] कार्य में काम लेने के प्रयोजन से अवेध रूप से पक्की सड़क बनवाके आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:44 IST
Reason: SelfAttested

Al

प्रार्थि की कृषि भूमि 2186/265 कि पश्चिीम सींव को नस्ट कर मेरे खेत को अपने खेत में मिलया जाकर अकृषि कार्य के उपयोग हेतु प्रयाश किया जा रहा है प्रार्थी कि कृर्षि भूमि को ये लोग व सह खातेदार नुकसान पहुंचा सकते है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जाये।
प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थी का वादगत कृर्षि भूमि खसरा सं. 2398/266 से काई हित निहित नही होने से प्रार्थना पत्र अस्विकार कर खारिज किया जाता है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेरोकार राज की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजो के अवलोकन एवंम पैरोकार राज की बहस पर मनन करने से निम्न तथ्य परिलक्षित होते है
वादिनी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया कि खसरा संख्या 2398/266, कुल रकबा 2.4029 हेक्टेयर, ग्राम रोही चूरू की बारानी कृषि भूमि है, जो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 के नाम खातेदारी में दर्ज है। यह भूमि मूलतः कृषि प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई थी, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इसे बिना अनुमति के अकृषि प्रयोजन, जैसे प्लॉटिंग व निर्माण कार्य हेतु उपयोग में लिया गया।
खसरा संख्या 2398/266 में खातेदारी दर्ज है ईमरान अली व अन्य के नाम।
मौके पर आंशिक निर्माणात खड़े हैं। सड़क बनाई गई है व भूमि का समतलीकरण कर आवासीय प्लॉटिंग की गई है। यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की घोर अवहेलना की गई है एवं भूमि की कृषि प्रकृति बदल दी गई है।
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1)(5) के अनुसारः
"यदि कोई खातेदार बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन में उपयोग करता है तो वह अपनी खातेदारी से बेदखल किया जा सकता है।" यहां प्रतिवादीगण द्वारा न केवल उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, बल्कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अकृषि उपयोग कर भूमि को क्षति पहुँचाई गई है, जिससे वे बेदखली योग्य हो जाते हैं।
प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कार्य पूर्णतः गैरकानूनी, खातेदारी शर्तों के विरुद्ध एवं न्यायिक आदेशों की अवमानना है। अतः उन्हें खातेदारी अधिकारों से वंचित करते हुए भूमि को राजकीय घोषित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

निर्णय

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम रामसरा के खेत खसरा नं. 2398/266 तादादी 2.4029 है खातेदारो के नाम से खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने व उक्त भूमि को खाता सं. 1 में दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:44 IST
Reason: SelfAttested

AU
(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 20 रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू
ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

--वादी--

बनाम

1. ईमरान अली पुत्र इमामुदीन, जाति--तेली,नि. चूरू।
2. गनीमोहम्मद पुत्र रमजान, जाति--तेली,नि. चूरू।
3. जमालुदीन पुत्र इमामुदीन, जाति--तेली,नि. चूरू।
4. जरीना बानो पुत्री साबीर, जाति--तेली,नि. चूरू।
5. मुस्लिम मण्डावरीया पुत्र साबीर, जाति--तेली,नि. चूरू।
6. मो. जीमल पुत्र इमामुदीन, जाति--तेली,नि. चूरू।
7. शहनाज पुत्री इमामुदीन, जाति--तेली,नि. चूरू।
8. सईदा पत्नि साबीर, जाति--तेली,नि. चूरू।
9. सत्तार पुत्र यासीन, जाति--तेली,नि. चूरू।
10. समरीन पुत्री इमामुदीन, जाति--तेली,नि. चूरू।
11. सैयद पुत्र इमामुदीन, जाति--तेली,नि. चूरू।
12. हारून मण्डावरीया पुत्र साबीर, जाति--तेली,नि. चूरू।
13. हारूनगौरी पुत्र खैददीनगौरी, जाति--तेली,नि. चूरू।
14. उप पंजीयक चूरू

--प्रतिवादीगण--

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नं. 43 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी पैरोकार राज वादी, मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:--

दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम रामसरा के खेत खसरा नं. 2398/266 तादादी 2.4029 है खातेदारो के नाम से खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने व उक्त भूमि को खाता सं. 1 में दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना--अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी दिनांक 24 माह जूलाई सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:44 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू